राजस्व प्रार्थना पत्र 7 / 2022
जीसीएमएसम नंबर 2022 / 79
जसोदा बनाम् सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टए एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र–7 / 2022

प्रार्थी–

1. जसोदा पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट , निवासी– छापड़ा तहसील–जायल , जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री गोविन्दराम
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 18/05/2022

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया का वास्तविक नाम जसोदा पत्नी ओमप्रकाश ही है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा मांगलोद तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 147 के खसरा नम्बर 26 / 1112 सहखातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थीया के मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या टीडीपी0997528, पेन कार्ड संख्या सीएलक्यूपीजे9358एफ, आधार कार्ड संख्या 7527 5627 7523 मे प्रार्थीया का सही नाम जसोदा पत्नी ओमप्रकाश दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थीया को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक दिनांक 26.04.2022 को मय हल्का पटवारी मांगलोद की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थीया का नाम ऑनलाईन जमांबदी संम्वत 2073–2076 स्थायी में जसु पत्नी ओमप्रकाश सहखातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थीया के ग्राम मांगलोद के खाता संख्या 147 खसरा नंबर 26 / 1112 में खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थीया को गांव में वर्तमान में भी जसु के नाम से जाना

18/05/22

व पुकारा जाता है। प्रार्थीया के अन्य दस्तावेज मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या टीडीपी0997528, पेन कार्ड संख्या सीएलक्यूपीजे9358एफ, आधार कार्ड संख्या 7527 5627 7523 में नाम जसोदा पत्नी ओमप्रकाश दर्ज है। प्रार्थीया को गांव में बोलचाल में जसु नाम से पुकारने के कारण नामान्तकरण को दर्ज करते समय प्रार्थीया का नाम जसु दर्ज किया गया था। उपस्थित मौतबिरानों ने जसु तथा जसोदा दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति/महिला के होना बताया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी मांगलोद तहसील जायल की रिपोर्ट, मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या टीडीपी0997528, पेन कार्ड संख्या सीएलक्यूपीजे9358एफ, आधार कार्ड संख्या 7527 5627 7523ी तथा ग्राम मांगलोद नकल खतौनी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 147 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थीया की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में मांगलोद के खतौनी सं. 147 में अंकित खसरान् में प्रार्थीया का नाम जसु पत्नी ओमप्रकाश के स्थान पर जसोदा पत्नी ओमप्रकाश शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मांगलोद तहसील के खतौनी सं. 147 में वर्णित खसरान की भूमि जो कि प्रार्थीया को पुश्तैनी बडेर की भूमि जो कि विरासत नामान्तकरण से प्राप्त हुई है तथा सहखातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या टीडीपी0997528, पेन कार्ड संख्या सीएलक्यूपीजे9358एफ, आधार कार्ड संख्या 7527 5627 7523 की फोटो प्रति में प्रार्थीया जसु एवं जसोदा एक ही व्यक्ति/महिला के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थीया का सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय जसोदा के स्थान पर जसु दर्ज हुआ है तथा तथा प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में चाही गई दूसरी इस्तदुआ सहखातेदार पुत्र झुमरलाल व प्रकाश के नाम के आगे से नाबालिक शब्द हटाने के संबंध में चाही गई है जिस हेतु प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट में उक्त के संबंध में उल्लेख किया है जिस कारण प्रार्थीया की यह इस्तदुआ साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं पाई गई है।

राजस्व प्रार्थना पत्र 7/2022
जीसीएमएसम नंबर 2022/79
जसोदा बनाम् सरकार

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि जसु एवं जसोदा दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम मांगलोद के खाता संख्या 147 में दर्ज सहखातेदार नाम जसु पत्नी ओमप्रकाश के स्थान पर वास्तविक नाम जसोदा पत्नी ओमप्रकाश दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : **आदेश** : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम मांगलोद तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 147 दर्ज नाम जसु पत्नी ओमप्रकाश के स्थान पर जसोदा पत्नी ओमप्रकाश दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 18/05/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

18/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल